कार्यालय नगर निगम,ग्रेटर, जयपुर

(पण्डित दीनदयाल उपाध्याय भवन, लालकोठी, टोंक रोड जयपुर–15)

15 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

क्रमांकः– एफ–6( )उपा.राज. प्रथम/जननि/ग्रेटर/2023/2979 दिनांकः– 14/8/2023

सार्वजनिक विज्ञप्ति

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता हैं कि नगर निगम ग्रेटर जयपुर द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति क्रमांक 2960 दिनांक 01.08.2023 के जरिए 571 आवेदकों को आवंटित डेयरी बूथ स्थल की प्रोविजनल सूची जारी की गई थी। जिसके पश्चात् राजस्थान सरकार की अधिसूचना 9329 दिनांक 22.10.2021 के बिन्दु संख्या 2(xii) तथा बिन्दु संख्या 2(xiv) के अनुसार 20 वर्षो के लिए एक मुश्त किराया/लीज राशि + जी.एस.टी तथा बिन्दु संख्या 8 के अनुसार तथा 2(xv) अनुसार 2 वर्षों के लिए सुरक्षा राशि कुल (15000 + 1000 + 2700) 18700/– रूपयें अविलम्ब/15 दिवस में केवल नगद अथवा डी.डी. द्वारा डेयरी बूथ हेतु एकल खिड़की, अटल सेवा केन्द्र (निगम मुख्यालय) में जमा करवावें अन्यथा अधिसूचना के बिन्दु संख्या 9(ख) के अनुसार किराया/लीज राशि का भुगतान नहीं करने पर आवंटन समिति द्वारा बूथ आवंटन निरस्त किया जावेंगा।

उक्त विज्ञप्ति सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(शिप्रा शर्मा)
उपायुक्त राजस्व–प्रथम
नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर

प्रतिलिपिः–

1. निजी सहायक, माननीय महापौर महोदय/उपमहापौर महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
2. निजी सहायक, श्रीमान् आयुक्त महोदय, नगर निगम, ग्रेटर जयपुर।
3. अतिरिक्त आयुक्त महोदय, नगर निगम ग्रेटर जयपुर।
4. कार्यालय अधीक्षक, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति को नगर निगम ग्रेटर जयपुर के नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शित करावें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी नगर निगम ग्रेटर जयपुर को प्रेषित कर लेख हैं कि उक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति को दो मुख्य राजस्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन करावें।
6. एनालिस्ट–कम–प्रोग्रामर, नगर निगम ग्रेटर जयपुर को भेजकर लेख है कि उपरोक्त सार्वजनिक विज्ञप्ति को नगर निगम ग्रेटर जयपुर की अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड़ करावें।
7. प्रभारी, अटल सेवा केन्द्र को भेजकर लेख हैं कि उक्त कार्य हेतु डेयरी बूथ के किराया/लीज राशि को जमा करने हेतु एकल खिड़की की व्यवस्था करवाया जाना सुनिश्चित करावें।
8. गार्ड फाईल।

— Sd

उपायुक्त राजस्व–प्रथम
नगर निगम, ग्रेटर, जयपुर